Shikshaparivar.com

दिनॉक 10.12.14

मित्रों आज मै और हेमलता जी शिक्षा संकुल मे फीस निर्धारण कमेटी एवं आरटीई के ऑफिस मे गये थे ।

फीस निर्धारण कमेटी 17,643 स्कूलों की फीस की लिस्ट 18.12.14 को निकालेगी ।

सभी ऐसे स्कूल जिन्होने पोर्टल नही भरा उनको कारण बताओं नोटिस निकाला जायेगा । जिसका जवाब मैने पहले से ही वेबसाईट पर डाल रखा है । और मै यह चाहता हुँ कि जैसे ही फीस कमेटी वाला बीईओ अथवा डीईओ आपको कारण बाताओ नोटिस का पत्र देने आये आप वह पत्र लो तथा अपना पत्र उसको दे दो । वो आपसे रसीद मॉगे तो आप उससे रसीद मॉग लो । वो मना करे तो आप भी मना कर दो ।

दूसरी बात – आरटीई के राज्य ऑफिस मे जा कर मैने पूछा कि आपके अधिकारी भौतिक सत्यापन मे अवधारित फीस ही भर रहे है जबकि कानून कहता है कि सरकारी तय फीस अथवा फीस कमेटी द्वारा निर्धारित अथवा स्कूल द्वारा ली जाने वाली वास्तविक फीस , मे से जो भी कम हो का पुन : भरण किया जायेगा ।

दोस्तो उन्होने कहा कि ये सरकार के अधिकाररियों की मनमानी है हमारे पास कई शिकायत आई थी जिस पर हमने कार्यवाही भी की है । आप सभी स्कूल वालो को कह देवे कि यदि किसी स्कूल के भौतिक सत्यापन के द्वौरान स्कूल वाले जो वास्तविक फीस ले रहे है वही भरे । यदि सत्यापन दल अवधारित फीस की जिद करे तो हस्ताक्षर नही करे एवं जिन्हौने पहले गलती से अवधारित पर हस्ताक्षर करवा लिये हो वे पोर्टल लॉक नही करे तथा उस अधिकारी की डीईओ से शिकायत कर सत्यापन ठीक करवा लेवे । यदि वह अधिकारी फिर भी नही माने तो हमे शिकायत देवे ।

क्योकि आरटीई वाले भी कह रहे है कि किसी की फीस निर्धारित नही हुई और अवधारित को मानना कानूनी नही है ।

दौस्तो मै आपसे कहना चाहता हुँ कि अब डरना बंद करो । कानूनी भाषा मे जवाब दो । कुछ नही होगा । इनको पीछे हटना पडेगा । आठवी बोर्ड के मामले मे देख लो पीछे हटना पडा ।

जिन स्कूल वालो के साथ ऐसा हुआ है वे लिखित मे शिकायत डीईओ से करे एवं डीईऔ नही माने तो मुझे बताएँ । पहले मै डीईओ से बात करूगॉ, नही मानने पर हैडआफिस मे शिकायत करूँगा ।

प्रतापगढ के धरियावाद ब्लॉक मे एक ऐसे ही मैटर मे मैने बीईओ को फटकारते हुए कहा कि पढे लिखे नही हो तो नौकरी छोड दो । वर्ना कानून के हिसाब से काम करो । आदेश पढो फिर बोलो । आपके पास आदेश नही तो मै भेज दूँ ।

वह न केवल शर्मिन्दा हुआ बल्कि उसने स्कूल वाले की बात मानी एवं ठीक किया । ऐसा बहुत स्कूल वालो के साथ हुआ है ।

अनिल

Shikshaparivar.com